

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का कठूमर बनाम जुमावडी 02020000

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 44/2022

निर्णय दिनांक :- 16/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन गोठुपोकर में से 0-02
रकबे पर श्री जुमावडी 02020000 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
पटवारी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक
6/5/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद
भू.अ.निरी. दारीदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी जुमावडी 02020000 जाति पार निवासी रानीदा को भू.
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0-02
रकबे किस्म गोठुपोकर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायल को अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paise का
50 गुणा 19/7 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी कठूमर भू.अ.निरी.
दारीदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

मोह
तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)